प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 11 जुलाई, 2017

विषय:-**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बंध में दिशा-निर्देश**।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-614/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017 दिनांक 06.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत राज्यों को अवमुक्त 04 प्रतिशत प्रशासनिक मद की धनराशि ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुमन्यता के संबंध में निर्देश निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना'ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-3.3.1 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से 04 प्रतिशत की धनराशि प्रशासनिक व्यय मद को विभिन्न स्तरों यथा- जनपद, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत पर आवंटित एवं व्यय आदि के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(1) भारत सरकार से प्रशासनिक व्यय मद में केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात मैचिंग राज्यांश सहित की धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित की जाएगी।

(2) प्रशासनिक व्यय मद में अनुमन्य धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी जायेगी एवं उनके द्वारा राज्य स्तर हेतु अनुमन्य 0.5 प्रतिशत की धनराशि मुख्यालय पर आहरित कर व्यय किये जाने हेतु रोकते हुए शेष 3.5 प्रतिशत धनराशि में से 3 प्रतिशत धनराशि जनपदों को उनके लक्ष्य के अनुपात में आवंटित की जायेगी।

(3) मुख्यालय अंश की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी एवं मार्गनिर्देशिका में अनुमोदित मदों में व्यय की जायेगी।

(4) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत की धनराशि में से 1 प्रतिशत (अर्थात कुल उपलब्ध धनराशि का 1/3 भाग) धनराशि विलम्बतम 15 दिवस के अन्दर विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित कर दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जिन ग्राम पंचायतों में 10 या 10 से अधिक आवासों का निर्माण एक वित्तीय वर्ष में कराया जा रहा है, उन ग्राम पंचायतों को स्टेशनरी इत्यादि के लिए प्रत्येक वर्ष रू0 500/-जनपद स्तर की धनराशि से उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों में होने वाली फोटोग्राफी, अनुश्रवण, एम0आई0एस0 इत्यादि पर होने वाले समस्त व्ययों का भुगतान विकास खण्ड स्तर से ही, उन्हें आवंटित बजट से, किया जायेगा।

(6) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत धनराशि में से विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात अवशेष धनराशि अनुमन्य मदों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यय की जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रशासनिक मद में प्राप्त समस्त धनराशि नियमानुसार, औचित्य पूर्ण व्यय उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो जाय, अन्यथा जितनी धनराशि अवशेष रहेगी, भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में उतनी धनराशि राज्य के हिस्से से कम की जा सकती है।

(7) प्रशासनिक मद की धनराशि से दोनों प्रकार का व्यय (अनावर्ती तथा आवर्ती)किया जायेगा।

(8) एम0आई0एस0 फीडिंग के सापेक्ष होने वाला व्यय प्रथम प्रभार (First Charge) के रूप में वहन किया जाएगा। आवास सॉफ्ट पर फोटोग्राफ अपलोड करने हेतु लाभार्थियों के फोटोग्राफी का व्यय भी इसी मद से वहन किया जाना है। शेष धनराशि से योजना के अनुश्रवण एवं अन्य अनुमन्य मदों पर व्यय किया जा सकता है।

(9) एम0आई0एस0 फीडिंग के लिये सीधे किसी कर्मी की तैनाती नही की जाएगी, अपितु किसी सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कार्य हेतु सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) प्रशासनिक मद की धनराशि को योजना की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-3.3.1 में निर्धारित 13 मदों में ही किया जाएगा। निर्धारित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में व्यय किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

(11) प्रशासनिक मद की धनराशि के व्यय में मितव्ययिता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) प्रशासनिक मदों के व्यय हेतु अनुमन्य 04 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत अथवा 0.5 प्रतिशत की धनराशि सोशल ऑडिट के दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णयोपरान्त पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 18/2017/522(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकरी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग'2/3।
9- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण अनुभाग।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- विशेष कार्याधिकारी, बजट, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।